

पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना ज०सं०-१०/२०१८ 236
 झारखण्ड सरकार
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
 उपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर/हजारीबाग/यांत्रिक, राँची ;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 29/३/१९

विषय :—

माँग संख्या—49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—800—अन्य व्यय, उप शीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विरत्त शीर्ष—05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड—49S470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :—

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—65/18—19, दि.—13.02.19, 41/17—18, दि.—22.09.17, 59/17—18, दि.—29.11.17, 35/17—18, दि.—01.09.17, 33/18—19, दि.—23.10.18 एवं 28/14—15, दि.—12.19.14

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018—19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1.	49—जल संसाधन विभाग / 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80—सामान्य	800—अन्य व्यय / 46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05—निर्माण / 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड—49S470180800460545	0.07	19.47	19.54

आवंटित राशि —₹ उन्नीस लाख चौवन हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018—19 के तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध राशि ₹. 1200.00 लाख (बारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट—2, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राप्ति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

29/३/१९

(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूब)
 विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
 अभियंता प्रमुख—१

✓

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 236

रॉची, दिनांक :— 29/3/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/हजारीबाग/मेदिनीनगर/दुमका/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 236

रॉची, दिनांक :— 29/3/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख—1


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 236

दिनांक .. २९/३/१९ का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉर्ग संज्ञ्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामाच,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

जप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

पिस्तृत शीर्ष-05- निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49S470180800460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तीर्ण अनुसूतक आणग से प्राप्त राशि के उत्तरांत चंशोषित बचत उत्तरांत 1200.00 लाख (बिरक करोड़) लघुये मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य आविष्यता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	पूर्त का आवंटन	वर्तीमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	अस्वीकृति
				प्रसंग	राशि						
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKRR002)	देवधर	दुमका जिलान्तर्गत पमला वीयर योजना के उन्नर्खणपन कार्य हेतु	28 / 15-16 प्र.स्त्री दिनांक 10.09.2015 Online AA-1519/14.09.2015 65/18-19 प्र. स्त्री. दिनांक – 13.02.2019 Online AA-211 / 13.02.19	446.140	318.46	108.140	19.540	127.680	107113	पमला वीयर योजना का उन्नर्खणपन कार्य।
			योगा	108.140	19.540	127.680					

आवंटित राशि –₹ उनीस लाख चौवन हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)

(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
आविष्यता प्रमुख-1

(अल्लग कुमार सिंह)
आप मुख्य सचिव

29.3.19

विभागीय पत्रांक 236

दिनांक 29/2/19

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -2

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीपत्र परिवाय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49SS470180800460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुरीय अनुप्रक आगणन से प्राप्त राशि के उपरांत संशोधित बजट उपवंश 1200.00 लाख (बारह करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की			मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन अवधारणा	On-line Allotment Access No.	अनुचित	
				प्रसंग	राशि	पूर्त का आवंटन	संरक्षित राशि	आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	यांत्रिक प्रमंडल, मंडल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर (LTTRRR001)	यांत्रिक	चिरका जलाशय योजना एवं अन्यराज वीयर योजना के यांत्रिक कार्य	41 / 17-18 प्र.स्ट्री., दिनांक-22.09.2017	0.00	18.00	3.10	14.90	49313	Renovation work of outlet gates and hoisting arrangement of Annaraj Weir Sch. (AA for this work Rs. 18.44 lakh only)	
2	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग (HZBIRR028)	यांत्रिक	गोदा जलाशय योजना एवं गोलाई वीयर योजना के विभिन्न गोटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यांत्रिक कार्य।	59 / 17-18 दिनांक 29.11.2017	50.840	0.00	4.75	2.39	2.36	49311	Renovation work comprising of fabrication & installation of gates, embedded part, hoisting arrangement of main outlet of "Gonda Reservoir Scheme." (AA Rs 26.06 Lakh Only)
3	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)	यांत्रिक	हिल जलाशय योजना के यांत्रिक कार्यों हेतु	35 / 17-18 प्र.स्ट्री. दिनांक-01.09.2017	18.390	0.00	18.37	0.62	17.75	49312	Fabrication, supplying, fitting, fixing and erection of service and Emergency Gates with Embedded parts hoisting arrangement, trash rack and clequered plate on platform of well for "HIROO RESERVOIR SCHEME"
			यांत्रिक प्रमंडल, बनासो (हजारीबाग) के अन्तर्गत तेझ वोकारो लिंक के शीर्ष नियमित के गटों की समर्पण से संबंधित यांत्रिक कार्य	33 / 18-19 दिनांक 23.10.2018	94.393	0.00	79.250	7.780	71.47	88481	Online A.A.-1431/23.10.18
			जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	28 / 14-15 दिनांक 12.09.2014	732.089	448.93	280.00	2.93	277.07	66051	Online A.A-1438/24.10.18
				योग	426.37	19.47	406.90				

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल प्रत्यार्पित राशि -₹ उच्चीस लाख सौतालीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अमि.)

(रमेश कुमार देव)

विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-1